उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या – 45/2022

आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि० (मनिष सिन्हा) बनाम् प्रभात सिन्हा वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
24.02.2023	**–:: आदेश ::–** अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि० (मनिष सिन्हा) द्वारा Under Section– of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act -2002 के तहत् ऋणकर्त्ता 1. Prabhat Sinha, S/o Nageshwar Prasad Sinha, 2. Nageshwar Prasad Sinha, S/o Late Hiralal Sinha, At-Patratu Basti, Near Block Office Ramgarh, P.S Ramgarh, Dist-Ramgarh, State-Jharkhand, के विरूद्ध गिरवी रखे गये सम्पति/भूमि निबंधन केवाला संख्या–845, दिनांक–05.07.2019 से हासिल भूमि मौजा–पतरातू, थाना न०–84 थाना–रामगढ़ खाता न०–20 प्लॉट न०–51 रकवा–12 डिसमील (Admeasuring an area of AREA 12 DECIMAL, Two-Stored R.C.C House on 6990 SQ. FT) चौहद्दी उ०–8 फिट चौडा रोड़ एवं उसके बाद अरविन्द्र प्रसाद, द०–रामचद्र पासवान पु०–महिमा चौधरी, प०–25 फिट चौडा रोड़, भूमि तथा भूमि पर बनी संरचना पर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु दायर आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए ऋणकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। नोटिस के उपरांत ऋणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित अभिकथन में कहा गया है कि ऋणकर्त्ता बीमार है जिसके कारण मुझे समय दिया जाय। न्यायालय द्वारा समय देने के बवजुद ऋण की राशि वापस करने के संदर्भ में उनके द्वारा किसी प्रकार की सकारात्मक पहल नहीं की गई है। सरकारी विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ एवं प्राधिकृत पदाधिकारी, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि० (मनिष सिन्हा) द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में एक पक्षीय सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया जा रहा है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Under Sub-Section (2) of Section-13 of the SARFAESI Act-2002 के तहत् बैंक के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। एवं बैंक के द्वारा ई–नीलामी बिक्रय सूचना प्रकाशन के फलस्वरूप Securitization and Reconstruction of	

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act -2002 की धारा–14 के तहत् ऋणकर्त्ता से संबंधित सम्पति पर दखल कब्जा हेतु न्यायालय में अनुरोध किया गया है। जो विधिवत् एवं न्याय–संगत है। बैंक द्वारा दखल–कब्जा के संबंध में किये गये अनुरोध को स्वीकार करने योग्य तथा विधि–संगत है।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा–पतरातू, के खाता सं०–20 बकास्त खाते की भूमि है। मूल पंजी–II का अवलोकन के उपरांत पाया गया कि मूल पंजी–II में जमाबंदी कायम नहीं है। उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ सं०–01 भॉल्युम सं०–8 पर नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, पिता–स्व० हिरालाल सिन्हा खाता सं०–20 प्लॉट सं०–51 रकवा–शून्य दर्ज है। दाखिल खारिज वाद सं०–116/2015–16 प्राधिकार कॉलम में अंकित है। प्रश्नगत भूमि केसरे हिन्द/खास महल/गैरमजरूआ/सरकारी भूमि नहीं है। उक्त भूमि पर दोतल्ला मकान निर्मित है। वर्त्तमान में उक्त मकान में ताला लगा हुआ पाया गया, जिसमें प्रतीत होता है कि ऋणि व्यक्ति प्रभात सिन्हा, पिता–स्व० नागेश्वर प्रसाद सिन्हा वो नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, पिता–स्व० हिरालाल सिन्हा दो व्यक्ति ऋण के भय से फरार है।

निष्कर्ष :–

U/s -14 of the SARFAESI Act-2002 के तहत् आई०सी० आई०सी०आई० बैंक लि० (मनिष सिन्हा) से प्राप्त आवेदन एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना स्पष्ट है कि :–

1 आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि० (मनिष सिन्हा) द्वारा पूर्व में दी Recall Notice Under Section–13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act -2002 के तहत् ऋणकर्त्ता को किया गया। Bombay High Court Judgment is Case of M/s Trade well & others V/s Indian Bank in Cr WP No. -2767 of 2006 Clearly lays down as follows :- "in our opinion, at the time of passing order under section 14 of the NPA At, the CMM/DM will have to consider only two aspects, he must find out whether the secured asset falls within his territorial jurisdication and whether notice under section 13(2) of NPA Act is given or not, no adjudication of any kind is contemplated at that stage."

2 आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि० (मनिष सिन्हा) द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणकर्त्ता के द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरान्त ऋण की राशि वापस करने के संदर्भ में को सकारात्मक पहल नहीं की गई है।

3 अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि केसरे हिन्द/खास महल/ गैरमजरूआ/सरकारी भूमि नहीं है।

आदेश :–

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के प्राप्त मन्तव्य से सहमत होते हुए सरफेसी एक्ट–2002 की धारा–14(1 एवं 2) में निहित प्रावधानों के तहत् प्राधिकृत पदाधिकारी, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि० (मनिष सिन्हा) के द्वारा किये गये अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना (निबंधन केवाला सं०–845, दिनांक–05.07.2019 से प्राप्त भूमि मौजा–पतरातू, थाना नं०–84, थाना–रामगढ़ अंतर्गत खाता न०–20 प्लॉट न०–51 रकवा–12 डिसमील (Admeasuring an area of AREA 12 DECIMAL, Two-Stored R.C.C House on 6990 SQ. FT) चौहद्दी उ०–8 फिट चौडा रोड़ एवं उसके बाद अरविन्द्र प्रसाद, द०–रामचद्र पासवान पु०–महिमा चौधरी, प०–25 फिट चौडा रोड़ को जप्त कर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु संबंधित आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि० (मनिष सिन्हा) को अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त कार्रवाई के क्रम में विधि–व्यवस्था संधारण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
24.02.2023
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
24.02.2023
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.03.20 13:34:11 +05:30
Location: 192.168.0.10